


// श्री //



न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्र. / 12 ~~कैलाश~~ ^{किशोर} R-170 - 082/2012

श्री सुरेन्द्र शुक्ल अभिभाषक
द्वारा कैम्य उज्जैन पर
प्रस्तुत।

25/11/12
अ.क.

- 1- मांगीलाल पिता धुलजी मृत द्वारा वारिसान
अ- प्रकाश उम्र 40 वर्ष
ब- कैलाश उम्र 32 वर्ष
पुत्रगण स्व. मांगीलालजी
- 2- कनीराम पिता धुलजी
- 3- फतेलाल पिता धुलजी
समस्त जाति कुम्हार, समस्त धंधा कृषि,
निवासीगण ग्राम पारसी तहसील तराना
जिला उज्जैन —आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- संगीताबाई पति नागुलालजी जाति ब्राह्मण
- 2- रामचंद पिता नंदरामजी जाति ब्राह्मण
निवासीगण ग्राम पारसी तहसील तराना
जिला उज्जैन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता माननीय
अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग
उज्जैन द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण क्र. 454/08-09
द्वितीय अपील मे पारित निर्णय दिनांक 19-12-11 से व्यथित
एवं असंतुष्ट होकर प्रस्तुत है:-

(Handwritten signature)

R 170-PR302 | 12 उम्मेद

21.10.2016

आवेदक की ओर से युवना
उपलब्ध कोई भी उपाख्यत नहीं।
आवेदक की ओर से श्री एन.ए.एस.
सिंहाया आभेभाषक उपाख्यत।
तीन बार पुकार लगाई गई, फिर
भी कोई उपाख्यत नहीं। अतः,
प्रकरण आदम पैली में निरस्त
रकिया जाता है।

DD

अक्ष

अदयस

[क 1 3]